

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(10)का/आर.एम.एस./डीएलबी/09/5446

दिनांक : 06/06/2022


आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 के अन्तर्गत स्थाई लेखाधिकारी की दिनांक 01.04.2022 तक की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 4005-4022 दिनांक 04.05.2022 द्वारा जारी की जाकर 15 दिवस में आपत्तियां मांगी गई थी। उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची के सम्बन्ध में विभाग को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

अतः राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1) कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में लेखाधिकारी पद की स्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2022 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है:-

दिनांक 01.04.22 की स्थिति

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री राकेश कुमार अरोडा	10.09.65	01.04.15	01.04.16	निलम्बित
2.	श्री रोहित कुमार पाराशर	05.07.69	01.04.17	01.04.18	-
3.	श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा	30.09.64	01.04.17	01.04.18	-



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)(10)का/आर.एम.एस./डीएलबी/09/5447-61

दिनांक : 06/06/2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर/जयपुर।
04. महापौर/आयुक्त, नगर निगम/परिषद, जयपुर हैरिटेज/ग्रेटर/अजमेर।
05. श्री.....लेखाधिकारी, नगर निगम .....
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त निदेशक